न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 05/2017
दायर दिनांकः 09.02.2017
निर्णय दिनांक 30.01.2026

—: अनवान :—

छगनलाल पिता श्री गुलाब जी जाति भील निवासी एमड़ी तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) — अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सोसर पुत्री श्री माना जी, पत्नी श्री किशना जी, जाति भील, निवासी नोगामा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) (ड्रोप)
2. श्री वख्तावर जी पिता श्री हीरा जी, जाति भील, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री रूपलाल पिता श्री हीरा जी, जाति भील, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री दिनेश पिता श्री उदयलाल जी, जाति भील, निवासी एमड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती तुलसी पत्नी श्री उदयलाल जी, जाति भील, निवासी एमड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती ऐजी पत्नी श्री गुलाब जी, जाति भील, निवासी एमड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) (ड्रोप)
7. श्री नानालाल पिता श्री गंगाराम जी, जाति भील, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) मृतक के बजाय

7/1. श्री गोपाल पिता नानालाल भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द
7/2. श्री सुरेश पिता नानालाल भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द
7/3. श्री श्रीलाल पिता नानालाला भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द
7/4. श्रीमती झमकु बाई बेवा नानालाल जी भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द

8. तहसीलदार राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा दिनांक 07/04/2000 को नामान्तरकरण संख्या 761 राजस्व ग्राम एमड़ी का फैसल के विरूद्ध अपील

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 5 व 7/1, 7/2, 7/3 व 7/4 अनुपस्थित। (एकपक्षीय कार्यवाही)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा दिनांक 07.04.2000 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 761 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द में निम्न लिखित आराजीयात स्थित रही है कि

आराजी संख्या	रकबा
90	01–17
935	01–01

कुल किता दो कुल रकबा 02–18 (दो बीघा अठारह बिस्वा)

उक्त स्व. माना पिता झुमा जी भील, निवासी एमड़ी के खातेदारी, आधिपत्य, उपयोग–उपभोग की रही, उनके परिवार का सजरा इस प्रकार है कि

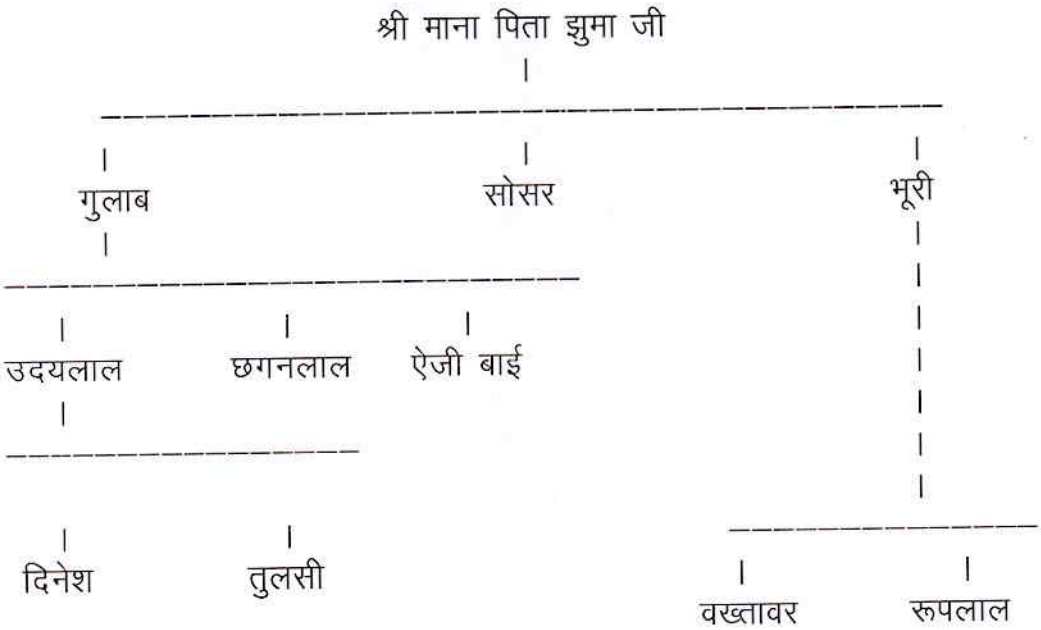

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट तथा स्व. माना जी पिता झुमा जी, गुलाब जी पिता माना जी स्व. भूरी पुत्री माना जी सभी जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तथा इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं। श्री माना जी पिता झुमा जी भील की मृत्युपरान्त उनके जायन्दा पुत्र गुलाब के नाम पर विरासत से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, परन्तु प्रश्नगत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नामान्तरकरण अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने स्व. गुलाब जी के साथ उनकी पुत्रीयों के नाम भी नामान्तरकरण संख्या 761 फैसल कर दिया। अपीलाण्ट उक्त आराजीयात के विभाजन हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 04/01/2017 को मिला और जमाबन्दी की नकलें निकलवाई, तो जमाबन्दीयों में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दिनेश के अलावा अन्य रेस्पोडेण्ट के नाम भी जमाबन्दी में दर्ज नजर आये। तथा उसके पश्चात् पश्चातवर्ती नामान्तरकरण फैसल कर दिये तथा श्रीमती सोसर के नाम गलत रूप से खुले नामान्तरकरण का फायदा उठा रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने विक्रय–पत्र निष्पादित करा लिये। भीमा जी के पुत्र गुलाब जी का स्वर्गवास हो गया, अपीलाण्ट स्व. गुलाब जी का पुत्र हैं तथा आक्षेपित नामान्तरकरण से पीड़ित हैं, इससे असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलाण्ट इन आधारों एवं अन्य आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है कि नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा फैसल नामान्तरकरण न्याय नियम, विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य हैं। स्व. माना जी पिता झुमा जी जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के अन्दर केवल मात्र पुत्र वारिसान के नाम पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए, पुत्रीयों के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। यानि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इसके बावजूद भी अधीनस्थ श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्व. माना जी के पुत्र गुलाब के साथ उनकी पुत्रीयों श्रीमती सोसर एवं स्व. भूरी के नामान्तरकरण फैसल करने में भूल की हैं। अधीनस्थ अधिकारी जी ने अपीलाण्ट स्व. गुलाब जी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, उक्त नामान्तरकरण बिना सूचित किये एवं सुने बाला–बाला तीन वर्ष पश्चात् स्व. गुलाब जी के साथ श्रीमती सोसर एवं भूरी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, उससे अपीलाण्ट के उत्तराधिकारी हक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आक्षेपित नामान्तरकरण श्रीमती सोसर एवं भूरी के नाम निर्णित हुआ। श्रीमती सोसर से रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने विक्रय–पत्र निष्पादित करा आराजी संख्या 90 का भाग अपने नाम दर्ज करा लिया तथा इस प्रकार उक्त पश्चातवर्ती कार्यवाही है सम्भावित कानूनी आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र साथ प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकारी जी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 761 दिनांक 04/07/2000 निरस्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 दिनेश के नाम नामान्तरकरण निर्णित कराया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 5 व 7/1, 7/2, 7/3 व 7/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 17.11.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनिल बागोर ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण

सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द कि क्रमशः आराजी संख्या 90, 235 तथा रकबा 01–17, 01–01 इस प्रकार कुल किता दो कुल रकबा 02–18 (दो बीघा अठारह बिस्वा) भूमि उक्त स्व. माना पिता झुमा जी भील, निवासी एमड़ी के खातेदारी, आधिपत्य, उपयोग–उपभोग की रही है। तथा स्व. माना जी के परिवार का सजरा अपील में वर्णित अनुसार होकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट तथा स्व. माना जी पिता झुमा जी, गुलाब जी पिता माना जी स्व. भूरी पुत्री माना जी सभी जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तथा इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं। श्री माना जी पिता झुमा जी भील की मृत्युपरान्त उनके जायन्दा पुत्र गुलाब के नाम पर विरासत से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, परन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने स्व. गुलाब जी के साथ उनकी पुत्रीयों के नाम भी नामान्तरकरण संख्या 761 फैसल कर दिया। अपीलाण्ट उक्त आराजीयात के विभाजन हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 04/01/2017 को मिला और जमाबन्दी की नकलें निकलवाई, तो जमाबन्दीयों में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दिनेश के अलावा अन्य रेस्पोडेण्ट के नाम भी जमाबन्दी में दर्ज नजर आये। तथा उसके पश्चात् पश्चातवर्ती नामान्तरकरण फैसल कर दिये तथा श्रीमती सोसर के नाम गलत रूप से खुले नामान्तरकरण का फायदा उठा रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने विक्रय–पत्र निष्पादित करा लिये। भीमा जी के पुत्र गुलाब जी का स्वर्गवास हो गया, अपीलाण्ट स्व. गुलाब जी का पुत्र हैं तथा आक्षेपित नामान्तरकरण से पीड़ित हैं, नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा फैसल नामान्तरकरण न्याय नियम, विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य हैं। अनुसूचित जनजाति के अन्दर केवल मात्र पुत्र वारिसान के नाम पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए, पुत्रीयों के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। यानि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. अधीनस्थ अधिकारी जी ने अपीलाण्ट स्व. गुलाब जी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, उक्त नामान्तरकरण बिना सूचित किये एवं सुने बाला–बाला तीन वर्ष पश्चात् स्व. गुलाब जी के साथ श्रीमती सोसर एवं भूरी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, उससे अपीलाण्ट के उत्तराधिकारी हक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आक्षेपित नामान्तरकरण श्रीमती सोसर एवं भूरी के नाम निर्णित हुआ। श्रीमती सोसर से रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने विक्रय–पत्र निष्पादित करा आराजी संख्या 90 का भाग अपने नाम दर्ज करा लिया तथा इस प्रकार उक्त पश्चातवर्ती कार्यवाही है अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 761 दिनांक 04/07/2000 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 दिनेश के नाम नामान्तरकरण निर्णित कराया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें हक अधिकारो का निर्धारण नहीं किया जाता है। तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण पत्र के आधार पर विधिसम्मत व विधिनुकुल आदेश पारित किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय अपील नामान्तरकरण संख्या 761 दिनांक 07.04.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विवादित नामान्तरकरण खातेदार श्री माना पिता जुमा भील की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र तथा पुत्रीयों के नाम पर खोला गया है इस अपील में अपीलान्ट के अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार खोला गया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार यह अधिनियम अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सदस्यों पर तब तक लागु नहीं होगा जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए। अभी तक जनजातियों के बारे में कोई नियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये नहीं बनाए गए है। अतः इसका निस्तारण पुरानी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार होना चाहिए। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय तथा एक रेवेन्यु बोर्ड का निर्णय भी प्रस्तुत किया गया है हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा इससे संबंधित अन्य निर्णय का पूर्ण सम्मान के साथ में अध्ययन किया गया। उन निर्णयों का निष्कर्ष यह है अनूसूचित जनजाति को केवल हिन्दू मान लेने जाने से ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागु नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई भी ऐसा निर्णय मेरी जानकारी में नहीं आया जिसमें यह आग्रहित किया गया हो कि पुराने हिन्दु विधि के प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागु होते हो अतः ऐसी स्थिति में जबकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर हिन्दु विधि लागु होते हो चाहे वह नयी हो चाहे वो पुरानी हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी परिवार के मुख्या की मृत्यु होने पर मात्र उसके पुत्र के नाम पर ही सारी भूमि चढ़ा देना, उत्तराधिकारी के रूप में सारी संपत्ति केवल पुत्र मात्र को दे देना इस संबंध में ना तो कोई सुस्थापित परम्परा का विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में ऐसी कोई सुस्थापित परम्परा हो या उसके ऐसे कोई दस्तावेज या उदाहरण पेश किए हो कि जब भी अनुसूचित जनजाति के खातेदार की मृत्यु होने पर जमीन केवल और केवल उसके पुत्र के नाम पर ही जाती हो इस तरह का कोई आधार विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में किसी प्रकरण के निस्तारण हेतु कोई स्पष्ट विधिक प्रावधान लागु नहीं हो तो मै, इसका निस्तारण भारतीय संविधान की भावनाओ के अनुरूप ही करना उचित समझता हूँ। चुंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि लिंग, जाति अथवा अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतः माना पिता झूमा के जो भी विधिक उत्तराधिकारी है उनको

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पुत्र और पुत्री के आधार पर उनमें भेदभाव/विभेद किया जाना संवैधानिक रूप से सही नही पाया जाता है यहां तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण सम्मान और सद्भावना की भावना के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित पाता हूँ। तथा उसे निरस्त करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा पारित किया गया निर्णय यथावत रखा जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)